



सीएसआईआर – केंद्रीय विद्युतरसायन अनुसंधान संस्थान  
CSIR - CENTRAL ELECTROCHEMICAL RESEARCH INSTITUTE  
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद/Council of Scientific & Industrial Research)

कारैकुडी/ Karaikudi – 630 003

सं./No.07-19(01)/2024-R&C

दि.28.01.2025

**कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM**

विषय/ Sub : सीएसआईआर-सीईसीआरआई में कार्य-स्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन / Reconstitution of Internal complaints committee for Prevention of Sexual Harassment of women at work places in CSIR-CECRI – Reg.

संदर्भ/Ref : सीईसीआरआई का.ज्ञा.सं CECRI.OM.No.07-19(01)/2020-R&C dated.06.01.2022 & 11.03.2024


\*\*\*\*

कार्य-स्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध व निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुरूप निदेशक, सीएसआईआर-सीईसीआरआई द्वारा सीएसआईआर-सीईसीआरआई में कार्य-स्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु आंतरिक शिकायत समिति का निम्नानुसार सहर्ष पुनर्गठन किया गया है / In accordance with the section 4 of Sexual Harassment of women at work place( Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, The Director, CSIR- CECRI has been pleased to reconstitute the Internal Complaints Committee for Prevention of Sexual Harassment of Women at work places in CSIR-CECRI as follows:

1. डॉ. पूनम सिंह, व.प्रधान वैज्ञानिक /  
Dr. Poonam Singh, Sr. Principal Scientist - अध्यक्ष / Presiding Officer
2. डॉ. एस.टी. निशांति, वरिष्ठ वैज्ञानिक /  
Dr. S.T. Nishanthi, Senior Scientist - सदस्य / Member
3. श्रीमती जी. कलैवाणी, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक  
Smt G. Kalaivani, Sr. Hindi Translator - सदस्य / Member
4. डॉ. सुंदर मायवन, व.प्रधान वैज्ञानिक  
Dr. Sundar Mayavan, Sr. Principal Scientist - सदस्य / Member
5. सुश्री रमा हरण / Ms. Rama Haran,  
PoSH Consultant, Chennai - सदस्य / Member
6. प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी /COA/AO - सदस्य / Member
7. डॉ. आर. सिंधुजा, प्रधान वैज्ञानिक /  
Dr. R. Sindhuja, Principal Scientist - संयोजक / Convener

**कार्य / Functions:** सीएसआईआर-सीईसीआरआई में महिलाओं के कार्य-स्थलों पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर गौर करना तथा इन शिकायतों का निवारण करना। निवारण समयबद्ध होना चाहिए। यह समिति परामर्श(counselling) अथवा अन्य सहयोगी सेवा प्रदान कर सकती है। यह समिति प्राप्त शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाइयों की एक वार्षिक रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी। इस समिति के कार्य में परम गोपनीयता बरती जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि यह यौन उत्पीड़न से संबंधित म.यौ.उ.अधिनियम के दिशा-निर्देशों के तहत उपलब्ध कराई गई शिकायत समिति तंत्र एवं सम्बद्ध निर्णय के अनुसार हो तथा यह समिति हर समय प्रभावी तथा सक्रिय हो तथा किसी भी लाइव मामले के न होने पर भी तिमाही में कम-से-कम एक बार इसकी बैठक अवश्य बुलाई जाए। / To look into complaints of sexual harassment of working women in their place of work in CSIR – CECRI and to redress the complaint. The redressal should be time based. It may provide counselling or other support service. It must make an annual report to Competent Authority of the complaints and action taken. Strict confidentiality is to be maintained in its functioning. It must be ensured that the complaints committee mechanism provided under SHW Act relating to sexual harassment and steps should be taken that the committee is effective and functional at all times and meet at least once in a quarter, even if there is no live case.

कार्यकाल /Tenure: 01.01.2025 से तीन वर्ष / Three years w.e.f.01.01.2025

  
(पि. श्याम सुंदर / P. Shyam Sundar)

प्रशासन अधिकारी / Administrative Officer

सेवा में/To

समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य / Chairman and Members of the committee

प्रतिलिपि/Copy to:

1. निदेशक / प्र. अ. का कार्यालय Director / AO's office
2. दैनिक बुलेटिन के माध्यम से अन्य अनुभाग/प्रभाग / All other Sections/Divisions through Daily Bulletin.